सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आषाढ़ 4, गुरूवार, शाके 1942–जून 25, 2020 *Asadha 4 , Thursday, Saka 1942–June 25, 2020*	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

इन्दिरा गांधी नहर विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 19, 2020

संख्या एफ 3(1) इगानवि/विषा/2018:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संलग्न सूची के अनुसार बीकानेर जिले के पन्नालाल बारूपाल (गजनेर) की रणधीसर माईनर के कुल 7 चको में फव्वारा पद्धति स्थापित करने एवं कुल 14 डिग्गियों के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

इस परियोजना से संबंधित समाघात अध्ययन का अन्तिम प्रतिवेदन जिला कलक्टर द्वारा गठित कमेटी ने नियम 16 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर दिया है। परियोजना में क्षेत्रीय बसावट न होने के कारण किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि नीचे वर्णित क्षेत्र की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवष्यकता है।

यह विज्ञप्ति भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन मंे उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट का अनुमोदन राज्य सरकार के क्रमांक 3(1)इगानवि/विषा/2018 जयपुर दिनांक 16.11.2018 से हो चुका है। अतः धारा 11 व 12 के प्रावधानों के अनुसार यह अधिसूचना उन सब हितधारियों के निमित जारी की जाती है । जिससे इसका संबंध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को जिनका इससे संबंध है को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिको सहित उस क्षेत्र में प्रवेष करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य कने हेतु अधिकृत करती है जो उक्त धारा में दर्षाये गए है।

कोई हितधारी व्यक्ति जिसे निम्नांकित क्षेत्र की भूमि को अवाप्त करने के संबंध में कोई आपत्ति हो तो उक्त अधिसूचना के प्रकाषन होने के 60 दिन के अन्दर अन्दर आपत्ति लिखित में भूमि अवाप्ति अधिकारी इगानप बीकानेर को प्रस्तुत कर सकता है।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार

संलग्न - सूची

आज्ञा से

देषराज मीना,
शासन उप सचिव,
इन्दिरा गांधी नहर विभाग,
जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।